**दिनांक** : 09 फरवरी 2014

# कांग्रेस पार्टी ने पिछले दशक में सीबीआई का चालाकी से किस प्रकार इस्तेमाल किया

**– अरुण जेटली**
*राज्य सभा में विपक्ष के नेता*

सीबीआई के निदेशक श्री रंजीत सिन्हा का एक बयान कल इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था। सच्चाई जबान फिसलने के कारण सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर इशरत जहां मामले में अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई होती तो यूपीए को खुशी होती। उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह के खिलाफ सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले। उनके इस बयान के कारण उम्मीद थी कि सरकार के खिलाफ अनेक प्रतिकूल टिप्पणियां होंगी, इसलिए सीबीआई निदेशक ने एक अपुष्ट बयान जारी कर दिया कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। चूंकि यूपीए सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, सीबीआई निदेशक के बयान और स्पष्टीकरण से अलग, अगर सीबीआई के चालाकी से इस्तेमाल की प्रक्रिया की गंभीरता से जांच कराई जाए तो ऐसा करना उपयोगी होगा।

कुछ मामलों में चीजों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश करने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कोई असामान्य बात नहीं है। आपात स्थिति के दौरान राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ करीब दो लाख एफआईआर दर्ज कराने के लिए मनगढंत बातें की गईं। ऐहतियाती तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों को आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) के अंतर्गत और शेष को भारत के रक्षा नियमों के अंतर्गत बंद कर दिया गया जिसका आपात स्थिति लगने के दौरान प्रयोग किया जाता है। पुलिस ने जितनी भी एफआईआर दर्ज की वह लगभग एक जैसी थीं। विरोधी राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जाता था कि वे सुबह के वक्त दूध के डिपो अथवा बस स्टॉप पर भाषण देकर कांग्रेस सरकार को हटाने के तरीके बताते हैं। हिरासत के लिए ये कोई आधार नहीं था। खेद की बात ये है कि एक भी पुलिस अधिकारी ने दृढ़ता से विरोध कर यह नहीं कहा कि वह झूठी एफआईआर दर्ज नहीं करेगा अथवा किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाएगा। आपात स्थिति की निरंकुशता में योगदान देने के लिए उन सभी ने आपस में सांठ–गांठ कर ली थी।

यूपीए ने 2004–2014 के दौरान सीबीआई का चालाकी से प्रयोग करने में निपुणता हासिल कर ली। इस अवधि के दौरान सीबीआई सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती थी। बल्कि इसे सत्तारुढ़ पार्टी नियंत्रित करती थी। आसानी से वश में आने वाले एक व्यक्ति का सीबीआई के निदेशक के रुप में चयन कर लिया गया। संगठन के रुप में सीबीआई निदेशक द्वारा चलाई जाती है। उसकी बात को ही माना जाता है। जांच अधिकारी किसी विशेष व्यक्ति पर दोषारोपण करने अथवा उसे दोषमुक्त करने के इरादे से जांच संबंधी फाइल तैयार करते हैं। सभी हदें पार हो चुकी हैं। सेवानिवृत्ति से पहले निदेशकों को नई नौकरियों की पेशकश की जाती है। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरी के बारे में सुझाव दिए जाते हैं। इससे उन्हें कहीं भी आसानी से झुकाया जा सकता है। निदेशकों को

सेवानिवृत्ति के बाद गवर्नर से लेकर यूपीएससी का सदस्य बनाने तक की पेशकश की जा चुकी है। एक विशेष निदेशक जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए और जिन्होंने इशरत जहां मामले में अमित शाह को फंसाने में विशेष दिलचस्पी ली उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले ही जामिया मिलिया का कुलपति नियुक्त कर दिया गया। समाचारपत्रों में छपी खबरों से पता चलता है कि सीवीसी के सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए भी उनका नाम शार्टलिस्ट किया गया था।

प्रधानमंत्री को लिखे गए एक विस्तृत पत्र में हाल ही में मैंने विस्तार से बताया था कि किस प्रकार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं जैसे अमित शाह, गुलाब चन्द कटारिया और राजेन्द्र राठौर को सीबीआई ने गलत तरीके से फंसाया। अमित शाह के मामले में उच्च न्यायालय ने उन्हें यह कहकर जमानत दे दी थी कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। गुलाब चन्द कटारिया के खिलाफ स्पष्ट रुप से झूठा मामला था जिसके कारण विशेष नयायाधीश ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। राजेन्द्र राठौर के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोप तय होने के समय पर ही उन्हें बरी कर दिया। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी और बसपा के बाहरी समर्थन से यूपीए अल्पमत वाली सरकार के रुप में सत्ता में बनी रही। दोनों ही मामलों में सीबीआई के सहयोग से इन दोनों दलों का समर्थन हासिल करने के लिए जोड़–तोड़ संभव हो सकी। उनके वरिष्ठ नेताओं पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है।

सीबीआई के निदेशक का खंडन कि इकोनॉमिक टाइम्स ने उनके जिस बयान को प्रकाशित किया है उसका कोई महत्व नहीं हैं। सीबीआई को आसानी से प्रभावित करने अथवा झुकाने के संबंध में अनेक प्रमाण हैं जो उनके अपने बयान से मुकरने से अलग हैं।

*****